भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3279
दिनांक 12 मार्च, 2026

हाइड्रोकार्बन आपूर्ति सुरक्षा और ऊर्जा अंतरण संबंधी रणनीति

†3279. श्री विजय कुमार दूबेः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री शंकर लालवानीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री मनोज तिवारीः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री प्रवीण पटेलः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत की कुल ऊर्जा खपत में अनुमानित वृद्धि को देखते हुए, आगामी दस से पंद्रह वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) आयात स्रोतों के विविधीकरण, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) के विस्तार और घरेलू अन्वेषण तथा उत्पादन को बढ़ावा देने सहित दीर्घकालिक हाइड्रोकार्बन आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या विशेषकर गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की बढ़ती हिस्सेदारी और संधारणीय प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के सुधारों को भारत के व्यापक ऊर्जा अंतरण संबंधी लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार के कोई प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) भारत की सुदृढ़ आर्थिक प्रगति के कारण, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह वर्ष 2035 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि का एक प्रमुख चालक बना रहेगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, भारत वर्ष 2024 से वर्ष 2035 के बीच तेल की वैश्विक माँग का 40% से अधिक और प्राकृतिक गैस की मांग का लगभग 8% के वृद्धि में योगदान करेगा, जबकि ओपेक का अनुमान है कि इसी अवधि में तेल में भारत की हिस्सेदारी लगभग 23% और गैस में 10% होगी।

भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौरान आपूर्ति में व्यवधान के जोखिम को कम करने और निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें कच्चे तेल के आयात स्रोतों में विविधता लाना और प्रमुख तेल उत्पादक देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए), पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करना शामिल है। सरकार ने इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक एक विशेष प्रयोजनार्थ कम्पनी के माध्यम से 5.3 लाख मीट्रिक टन (एमएमटी) की कुल क्षमता वाली कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) सुविधाएं स्थापित की हैं, जो अल्पकालिक आपूर्ति संकटों के लिए बफर का काम कर सकती हैं। पेट्रोलियम भंडार की क्षमता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने जुलाई 2021 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 6.5 लाख मीट्रिक टन (एमएमटी) की कुल भंडारण क्षमता वाली दो अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी थी, जिनमें से 4 लाख मीट्रिक टन ओडिशा के चांदीखोल में और 2.5 लाख मीट्रिक टन कर्नाटक के पादुर में स्थापित की जाएंगी।

सरकार ने घरेलू अन्वेषण और उत्पादन तथा जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन, संपीड़ित जैवगैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), ऊर्जा दक्षता और विद्युत मोबिलिटी जैसे वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए भारत के व्यापक ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप विभिन्न पहलें लागू की हैं। इनमें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना और एथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए फीडस्टॉक के दायरे को व्यापक बनाना शामिल है। सरकार ने वर्ष 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति (एचईएलपी) शुरू की। इस नीति के तहत, खुला रकबा अनुज्ञप्ति नीति (ओएएलपी) शुरू की गई। पिछले तीन वर्षों में, ओएएलपी बोली के आठवें और नौवें दौर के तहत देश में 1,72,912.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 38 अन्वेषण ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) सहित उन्नत जैव ईंधन के लिए परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के लिए प्रधानमंत्री जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण (पीएम जी-वन) शुरू किया गया है। संपीडित बायोगैस (सीबीजी) को बढ़ावा देने के लिए, वहनीय परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (सतत) योजना शुरू की गई है, और बायोमास एकत्रीकरण का समर्थन करने और सीबीजी संयंत्रों को मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने के लिए बीएएम (जैवमास एकत्रीकरण मशीनरी) और डीपीआई (प्रत्यक्ष पाइपलाइन अवसंरचना) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) शुरू किया गया है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए एलएनजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिनमें एलएनजी टर्मिनल और एलएनजी स्टेशन सहित एलएनजी अवसंरचना की स्थापना शामिल है। रिफाइनरियों को सरकार की पीएटी (प्रदर्शन, प्राप्ति और व्यापार) ऊर्जा दक्षता सुधार योजना में शामिल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को एफएएमई द्वितीय राजसहायता योजना के तहत 8,932 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 873.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ओएमसी ने अपने स्वयं के निधि से अपने प्रचालन केंद्रों (आरओ) में 18,706 ईवीसीएस स्थापित किए हैं। देश भर में कुल 27,638 ईवीसीएस स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 20,886 ईवीसीएस चालू हो चुके हैं।

मध्य प्रदेश राज्य में सीधी लोक सभा संसदीय क्षेत्र सीधी और सिंगरौली जिला को समाहित करने वाली भौगोलिक क्षेत्र (जीए) के अंतर्गत आच्छादित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनायमक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने सीधी और सिंगरौली जिले के जीए में नगर गैस वितरण के विकास के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्राधिकृत किया है। दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार, कम्पनी ने जीए में 10,592 पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन प्रदान किए हैं, 12 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना की है तथा 1,092 इंच-किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई है।

*****